

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/61/2021

राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


आदेश

दिनांक 18.08.2021


अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2021 प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/523 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने वाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक 5415 दिनांक 11.08.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएँ प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पत्र क्रमांक 5415 दिनांक 11.08.2021 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र क्रमांक 4895-4897 दिनांक 22.07.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है जिसमें अपीलान्त को सूचित किया गया है कि दिनांक 22.07.2021 को अपीलान्त द्वारा प्रेषित परिवाद उपखण्ड अधिकारी नगर को भेजा जा चुका है तथा वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना प्राप्त करे। इससे जाहिर होता है कि रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।


जिला कलक्टर
भरतपुर (गज0)

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।



(हिमान्यु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर